केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोनः 23353503, फैक्सः 23753923
वेबसाइटः www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं.143/टीएल/2023 दिनांकः 17.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा आरएफपी दस्तावेजों के अनुसार निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर खावड़ा पोटेंशियल आरई ज़ोन से आरई परियोजना के एकीकरण से संबद्ध गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार स्थापित करने के लिए 2009 (इसके बाद "पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम" के रूप में संदर्भित) स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया हैः

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	अहमदाबाद एस/एस सिरा में प्रत्येक सर्किट पर 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर, 330 एमवीएआर सहित बनासकांठा-अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन • स्विचिंग उपकरण – 2 नं. (6 x 110 एमवीएआर) सहित 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर • 765 केवी लाइन बे : 4 नं. (बनासकांठा में 2 नं. और अहमदाबाद में 2 नं.	24 माह	खावड़ा फेज-II (5 जीडब्ल्यू योजना)

नोटः

(I) अहमदाबाद पी.एस का विकासकर्ता बनासकांठा-अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए अहमदाबाद सिरा में स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लाइन बे के 2 नं. के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(ii) पावरग्रिड बनासकांठा-अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए बनासकांठा सिरा में 765 केवी लाइन बे के 2 नं. के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2. आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 773.27 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित पारेषण सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 21.4.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 143/टीएल/2023 में दिनांक 17.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
5. खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड को (अब पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **7.8.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **11.8.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव